झारखंड सरकार,
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अ धि सू च ना

राँची, दिनांक- 19 अप्रील, 2006

संख्या-एस. ओ.-6/स्था. शक्ति-007-09/2004का0-1884/ बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (19/1976) की धारा-21 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत मामलों के निष्पादन के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों / अनुमंडल पदाधिकारियों एवं कार्यपालक दंडाधिकारियों को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने क्षेत्रों के मामलों की सुनवाई करेंगे ।

इस प्रसंग में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4278 दि0 14. 12. 2005 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-एस. ओ.-6/स्था. शक्ति-007-09/2004का0-1884/राँची, दि0- 19/04/2006

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखंड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

(प्रेम चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- एस. ओ.-6/स्था. शक्ति-007-09/2004का0-1884/राँची, दि0- 19/04/2006

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राँची / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची / मुख्य सचिव के प्रधान सचिव, झारखंड राँची/ प्रधान सचिव, कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखंड,राँची के सचिव / सभी विभाग / विभागाध्यक्ष, राँची / राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली / श्रम मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(प्रेम चन्द्र वर्मा)